वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 9

वाणिज्य विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

		बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		305.07	869.21	1174.28	298.26	872.13	1170.39	399.73	914.39	1314.12
पूंजी		*83.75*	*...*	*83.75*	*81.80*	*...*	*81.80*	*100.62*	*...*	*100.62*
जोड़		**388.82**	**869.21**	**1258.03**	**380.06**	**872.13**	**1252.19**	**500.35**	**914.39**	**1414.74**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	2.00	17.00	19.00	2.00	17.81	19.81	2.00	31.00	33.00
	2052	...	13.14	13.14	...	12.42	12.42	...	...	...
		2.00	*30.14*	*32.14*	*2.00*	*30.23*	*32.23*	*2.00*	*31.00*	*33.00*
विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन										
2. व्यापार आयुक्त	3453	...	60.00	60.00	...	60.99	60.99	...	63.50	63.50
3. विदेशी व्यापार महानिदेशक	3453	...	31.50	31.50	3.69	31.71	35.40	3.11	34.83	37.94
4. निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता	*3453*	*...*	*630.00*	*630.00*	*...*	*623.62*	*623.62*	*...*	*650.00*	*650.00*
5. महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनात्मक शेष	3453	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	10.00	...	10.00
	3601	19.50	...	19.50	17.82	...	17.82	15.25	...	15.25
	3602	...	...	...	0.99	...	0.99	1.50	...	1.50
जोड़		*26.50*	*...*	*26.50*	*25.81*	*...*	*25.81*	*26.75*	*...*	*26.75*
6. मुक्त व्यापार/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास										
6.01 काण्डला (एस. ई. जेड)	3453	...	3.00	3.00	...	2.72	2.72	...	2.93	2.93
	5453	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	4.00	...	4.00
6.02 इलेक्ट्रानिक्स(एस.ई.ई.पी.जेड)(एस. ई. जेड)	3453	...	3.25	3.25	...	3.05	3.05	...	3.46	3.46
	5453	2.00	...	2.00	...	...	...	0.30	...	0.30
6.03 फाल्टा	3453	...	1.00	1.00	...	1.20	1.20	...	1.27	1.27
	5453	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
6.04 चेन्नई	3453	...	3.07	3.07	...	3.07	3.07	...	3.32	3.32
	5453	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	2.50	...	2.50
6.05 कोचीन एस. ई. जेड	3453	...	1.50	1.50	...	1.60	1.60	...	1.74	1.74
	5453	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	4.70	...	4.70
6.06 नोएडा	3453	...	2.54	2.54	...	3.53	3.53	...	3.00	3.00
	5453	4.00	...	4.00	6.00	...	6.00	2.50	...	2.50
6.07 विशाखापत्तनम	3453	...	1.40	1.40	...	1.31	1.31	...	1.34	1.34
	5453	5.00	...	5.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
6.08 रत्न और जेवरात निर्यात संवर्धन क्षेत्र	3453	...	...	...	...	0.46	0.46	...	...	...
6.09 निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क	3601	22.00	...	22.00	20.00	...	20.00	22.00	...	22.00
6.10 ई.सी.जी.सी. में निवेश	5465	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	50.00	...	50.00
6.11भारतीय विदेश व्यापार संस्थान	5453	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	5.25	...	5.25
	3453	...	...	...	...	2.50	2.50	...	3.00	3.00
जोड़		*104.00*	*15.76*	*119.76*	*101.00*	*19.44*	*120.44*	*96.25*	*20.06*	*116.31*
7. कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	3453	46.30	3.00	49.30	46.30	3.00	49.30	44.00	3.75	47.75
	2552	...	...	...	5.00	...	5.00	...	...	...
जोड़		*46.30*	*3.00*	*49.30*	*51.30*	*3.00*	*54.30*	*44.00*	*3.75*	*47.75*
8 समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	3453	20.00	4.00	24.00	20.00	4.00	24.00	30.00	4.75	34.75
9 विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन की अन्य योजनाएं	3453	0.25	8.20	8.45	0.25	8.11	8.36	1.50	9.17	10.67
9.01 वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय	5453	1.75	...	1.75	0.80	...	0.80	1.00	...	1.00
9.02 निर्यात निरीक्षण परिषद/एजेंसी	3453	...	0.90	0.90	...	3.21	3.21	3.50	2.00	5.50
9.03 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को योगदान	3453	...	4.00	4.00	...	4.81	4.81	...	5.00	5.00
9.04 अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	3453	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40
9.05 भारतीय पैकेजिग संस्थान को भुगतान	3453	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
9.06 निर्यात अवसंचरना और अन्य संबद्ध कार्यकलापों के विकास के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता योजना	3601	...	...	...	...	...	...	97.00	...	97.00
9.07 अन्य	3453	4.00	1.00	5.00	3.75	1.95	5.70	5.00	1.98	6.98
जोड़		*8.00*	*14.50*	*22.50*	*6.80*	*18.48*	*25.28*	*110.00*	*18.55*	*128.55*
जोड़-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन		**204.80**	**758.76**	**963.56**	**208.60**	**761.24**	**969.84**	**310.11**	**795.44**	**1105.55**

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001 आयोजना	बजट 2000-2001 आयोजना-भिन्न	बजट 2000-2001 जोड़	संशोधित 2000-2001 आयोजना	संशोधित 2000-2001 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2000-2001 जोड़	बजट 2001-2002 आयोजना	बजट 2001-2002 आयोजना-भिन्न	बजट 2001-2002 जोड़
बागान										
10. वस्तु										
10.01 चाय	2407	16.00	13.00	29.00	33.00	13.00	46.00	35.00	14.50	49.50
10.02 रबड़	2407	78.73	8.00	86.73	54.12	8.00	62.12	53.42	9.50	62.92
10.03 कॉफी	2407	24.30	10.00	34.30	20.32	10.00	30.32	27.80	11.50	39.30
10.04 मसाला	2407	16.41	2.50	18.91	14.44	2.50	16.94	15.34	2.80	18.14
10.05 काजू बोर्ड ई. पी. सी.	2407	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
जोड़ - वस्तु बोर्ड		**136.44**	**33.50**	**169.94**	**122.88**	**33.50**	**156.38**	**133.56**	**38.30**	**171.86**
11. बागान की अन्य योजनाएं										
11.01 भारतीय बागान प्रबंधन संस्थान बंगलौर	2407	...	...	...	1.00	...	1.00	0.59	...	0.59
11.01 भारतीय चाय व्यापार निगम को भुगतान	2407	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20
जोड़ - बागान		**136.44**	**33.70**	**170.14**	**123.88**	**33.70**	**157.58**	**134.15**	**38.50**	**172.65**
फसल कार्य										
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
12. बॉण्डों पर देय ब्याज के सम्बन्ध में देनदारियों को पूरा करने के लिए ई.सी.जी.सी. को भुगतान	3475	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए एक मुश्त प्रावधान	2407	34.46	...	34.46	34.46	...	34.46	...	...	...
उत्तर - पूर्वी क्षेत्र के	3453	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80	...	...	...
लिए निर्यात विकास निधि	2552	...	...	...	...	...	...	2.50	...	2.50
	4552	...	...	...	...	...	...	2.50	...	2.50
महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक संतुलन	3601	6.50	...	6.50	6.50	...	6.50	...	...	...
चाय	2552	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
रबड़	4552	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
कॉफी	2552	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
मसाला	4552	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
	2552	...	...	...	...	...	...	8.29	...	8.29
	4552	...	...	...	...	...	...	8.29	...	8.29
	2552	...	...	...	...	...	...	1.60	...	1.60
	4552	...	...	...	...	...	...	1.60	...	1.60
	2552	...	...	...	...	...	...	0.98	...	0.98
	4552	...	...	...	...	...	...	0.98	...	0.98
जोड़		*41.76*	*...*	*41.76*	*41.76*	*...*	*41.76*	*50.74*	*...*	*50.74*
आपूर्ति और निपटान										
14. डी. जी. एस एन्ड डी	2057	0.20	36.48	36.68	0.20	36.83	37.03	...	38.72	38.72
अन्य वैज्ञानिक सेवाएं										
15. राष्ट्रीय परीक्षण गृह	3425	3.62	10.13	13.75	3.62	10.13	13.75	3.35	10.73	14.08
कुल जोड़		***388.82***	***869.21***	***1258.03***	***380.06***	***872.13***	***1252.19***	***500.35***	***914.39***	***1414.74***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश										
1. निर्यात ऋण और गारंटी निगम	13465	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	50.00	...	50.00
2.वस्तु बोर्ड इत्यादि	12407	...	27.59	27.59	...	29.17	29.17	...	11.55	11.55
जोड़		*60.00*	*27.59*	*87.59*	*60.00*	*29.17*	*89.17*	*50.00*	*11.55*	*61.55*
ग. योजना परिव्यय*										
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
2. अन्य संस्थाएं/निकाय विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन										
3. बागान	13453	212.10	12.00	224.10	215.90	12.00	227.90	310.11	2.00	312.11
4. फसल कार्य	12407	170.90	6.55	177.45	158.34	11.01	169.35	134.15	2.35	136.50
5. आपूर्ति और निपटान	12401	...	9.04	9.04	...	6.16	6.16	...	7.20	7.20
6. अन्य वैज्ञानिक सेवाएं	32057	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	...	...	...
7 उत्तर पूर्वी क्षेत्र	13425	4.80	...	4.80	5.08	...	5.08	3.45	...	3.45
	22552	...	...	...	...	...	...	50.74	...	50.74
जोड़		*390.00*	*27.59*	*417.59*	*381.52*	*29.17*	*410.69*	*500.45*	*11.55*	*512.00*

**इसमें शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की मांग में दिया गया निर्माणकार्य परिव्यय शामिल है*

अन्य वैज्ञानिक सेवाएं	13425	1.18	...	1.18	1.46	...	1.46	0.10	...	0.10
मांग संख्या 81 लोक निर्माण कार्य										
जोड़		*1.18*	*...*	*1.18*	*1.46*	*...*	*1.46*	*0.10*	*...*	*0.10*

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं** - विभाग के सचिवालय पर होने वाले व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **व्यापार आयुक्त** - 66 विदेश व्यापार मिशनों में तैनात ये व्यापार संबंधी पूछ-ताछ का कार्य संभालते है, व्यापारिक विवादों को निपटाने और प्रदर्शनियां/मेले आदि आयोजित करने में भी सहायता प्रदान करते हैं।

3. **महानिदेशक, विदेश व्यापार** - इसमें महानिदेशक, विदेश व्यापार और इनके नियंत्रणाधीन 31 क्षेत्रीय आयात और निर्यात नियन्त्रण कार्यालयों के संगठन पर होने वाले प्रशासनिक व्यय के लिए व्यवस्था शामिल है।

4. **निर्यात संवर्धन और बाजार विकास सहायता** - यह प्रावधान संभावित निर्यात लाभ (शुल्क वापसी और समाप्त किए जाने वाले उत्पाद शुल्क की वापसी) के लिए है। इसके अतिरिक्त, निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य संस्थाओं को विशिष्ट निर्यात संवर्धन स्कीमों के लिए अनुदानों के भुगतान के लिए भी प्रावधान किया गया है।

5. **महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना शेष**: यह प्रावधान आधारभूत संरचना में उन विशेष बाधाओं को दूर करने के लिए एक योजना हेतु है जो निर्यातों को बाधित करते हैं।

6. **मुक्त व्यापार/निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र/ विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकासः** इसमें गाँधीधाम (कांडला) में विशेष आर्थिक क्षेत्र, सांताक्रुंज विशेष आर्थिक क्षेत्र मुम्बई और कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोचीन और चेन्नई, फाल्टा, नोएडा और विशाखापत्तनम में निर्यात संवर्धन क्षेत्रों के लिए प्रावधान शामिल है। बजट में आयोजना पक्ष में निर्माण और विकास के लिए तथा गैर आयोजना पक्ष में प्रशासनिक व्यय प्रावधान शामिल है। विभिन्न राज्यों में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित करने, निर्यात ऋण गांरटी निगम (ईसीजीसी) में निवेश और आई.आई.एफ.टी. को प्रशासनिक व्ययों के लिए सहायता का भी प्रावधान किया गया है।

7. **कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए):** बजट में कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को संबंधित भुगतानों के लिए उपकर संग्रहणों के प्रति भुगतान करने के प्रति कतिपय कृषि और संसाधित खाद्य उत्पादों के विकास और निर्यात संवर्धन तथा उससे सम्बद्ध मामलों के लिए प्रावधान शामिल है।

8 **समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)** - इसकी स्थापना निर्यात के विशेष संदर्भ में समुद्री उत्पाद उद्योग का विकास और विनियमन करने के उद्देश्य से की गई थी। उपकर वसूलियों की एवज के एम.पी.ई.डी.ए. को निधियां जारी की जाती हैं।

9. **विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन की अन्य योजनाएं** - इसमें वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक, निर्यात निरीक्षण परिषद्, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, आई.आई.पी., फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान, ई ए एन - इंडिया आदि को भुगतान करने के लिए व्यवस्था शामिल है। यह योजना राज्यों को निर्यात प्रयासों में शामिल करने के लिए निर्यात संबंधी बुनियादी ढांचों का विकास करने और संबंधित गतिविधियों हेतू राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए हैं ।

10. **वस्तु बोर्ड** - ये बोर्ड कतिपय महत्वपूर्ण फसलों अर्थात् रबड़, चाय, कॉफी, मसालों के निर्यात का विकास और वर्द्धन करने के लिए स्थापित किए गए हैं। इन वस्तुओं पर उपकर लगाया जाता हैं और उपकरों से प्राप्त होने वाली रकम से बोर्ड के प्रशासनिक और विकासात्मक खर्च के लिए भारत की समेकित निधि से रकमें दी जाती हैं।

11. **बागान की अन्य योजनाएं** - इनमें मुख्य रूप से सरकारी चाय भाण्डागारों के संचालन के लिए चाय व्यापार निगम को अदायगी करने के लिए व्यवस्था शामिल है।

13. **पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए एक मुश्त प्रावधान** – इसमें चाय, काफी, रबड़ और मसालों जैसी संबंधित स्कीमों के लिए प्रावधान किया गया है।

14. **आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय** : क्रय के लिए विकेन्द्रीकृत प्रबंध के तहत, निदेशालय अब मुख्य रूप से निर्णायक दर संविदाओं से संबंधित है ।

15. **राष्ट्रीय परीक्षण गृह** : यह राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सरकारी तथा गैर-सरकारी पार्टियों के लिए सामग्री के मूल्यांकन और परीक्षण के लिए प्रबंध करता है और परीक्षण प्रमाणपत्र जारी करता है ।